

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012 2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 जून 2013—ज्येष्ठ 30, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-2-113/2011/सात-4.—राज्य सरकार कोटवारों के नक्सली हिंसा में मृत्यु/अंग-भंग की दशा में अनुग्रह अनुदान के क्रियान्वयन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा विस्तार**— इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोटवारों के नक्सली हिंसा में मृत्यु, अंग-भंग की दशा में अनुग्रह अनुदान नियम, 2013 होगा. यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.
2. **कारपस निधि**— इस योजना के अंतर्गत आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग. द्वारा समस्त कलेक्टरों को वर्ष 2013-14 में बजट आवंटन जारी किया जायेगा. इस बजट आवंटन का आहरण करके कलेक्टर एक बैंक खाते में कारपस निधि के रूप में रखेंगे. कारपस निधि कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख के संयुक्त नाम से बैंक खाता खोल कर रखी जावेगी. इस कारपस निधि से कलेक्टर, कोटवारों को अनुग्रह अनुदान दावों का भुगतान करेंगे. कारपस निधि की राशि आधी रह जाने की स्थिति में कलेक्टर और बजट आवंटन की मांग आयुक्त, भू-अभिलेख से करेंगे, ताकि समय रहते उन्हें और बजट आवंटन उपलब्ध कराया जा सके.
3. **योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही**— यह योजना राज्य के समस्त जिलों में लागू होगी. इस योजना का लाभ राज्य के जिलों में कार्यरत कोटवारों को प्राप्त होगा.
4. **अनुग्रह अनुदान का क्षेत्र**— अनुग्रह अनुदान संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी रहेगा. नियमित कोटवार किसी भी क्षेत्र पर भ्रमण/दौरे/भेंट/यात्रा अवकाश पर रहेंगे, उन्हें अनुग्रह अनुदान का लाभ प्राप्त होगा.

5. **दावे की राशि**— योजना के अंतर्गत दावों का भुगतान कारपस निधि की राशि से निम्नानुसार किया जावेगा :—
- | | | |
|-------|--|----------------|
| (एक) | किसी भी परिस्थिति में प्रति कोटवार दावे की अधिकतम राशि | रु. 1,50,000/- |
| (दो) | नक्सली हिंसा में मृत्यु होने पर | रु. 1,50,000/- |
| (तीन) | नक्सली हिंसा में 100 प्रतिशत स्थायी अपंगता होने पर | रु. 75,000/- |
6. **अनुग्रह अनुदान निपटान अधिकारी**— प्रदेश के जिलों में पदस्थ कोटवारों के लिए दावा निपटान अधिकारी कलेक्टर होंगे.
7. **अनुग्रह अनुदान की प्रक्रिया**— अनुग्रह अनुदान की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—
- (एक) अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन पत्र संबंधित कोटवार के माता-पिता या विधिक अभिभावक द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत किया जावेगा.
- (दो) तहसीलदार आवश्यक जांच पश्चात् अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को भेजेंगे. कलेक्टर अनुग्रह अनुदान का परीक्षण कर उन्हें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेंगे.
- (तीन) अनुग्रह अनुदान के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की लिखित सूचना दावा निपटान अधिकारी तहसीलदार द्वारा दावाकर्ता को डाक द्वारा दी जावेगी.
- (चार) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत होने की दशा में निपटान अधिकारी 03 दिवस के भीतर संबंधित कलेक्टर (भू-अभिलेख) को भुगतान हेतु प्रस्ताव भेजेंगे और प्रस्ताव प्राप्त होने के 03 दिवस के भीतर कलेक्टर द्वारा रेखांकित धनादेश (चेक) के माध्यम से अनुग्रह अनुदान का भुगतान संबंधित कार्यालय प्रमुख को किया जावेगा. धनादेश (चेक) पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित कोटवार को उसके पते पर भेजा जायेगा, जो उसने आवेदन पत्र में अंकित किया हो.
- (पांच) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य होगा :—
- (1) कोटवार के कार्यरत होने का कार्यालय प्रमुख का प्रमाण पत्र.
 - (2) मृत्यु की दशा में प्राधिकृत अधिकारी का नियमानुसार जारी मृत्यु प्रमाण पत्र.
 - (3) मृत्यु न होने की दशा में दुर्घटना की व्याख्या सहित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जिसमें चोट की प्रकृति, कारण एवं आशक्तता को भी दर्शाया जावे. चिकित्सा प्रमाण पत्र पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी (बी.एम.ओ.)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.) का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा.
8. **जिला स्तरीय मानिट्रिंग समिति**— कोटवार अनुग्रह अनुदान की मानिट्रिंग के लिए एक जिला स्तरीय समिति होगी. समिति की सदस्यता निम्नानुसार होगी :—
- (1) कलेक्टर — अध्यक्ष
 - (2) जिला पुलिस अधीक्षक — सचिव
 - (3) प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख) — सदस्य सचिव
9. **अनुग्रह अनुदान निधि का उपयोग**— कोटवारों के नक्सली हिंसा में मृत्यु/अंग-भंग की दशा में अनुग्रह अनुदान हेतु मांग संख्या-08, मुख्य शीर्ष 2029 एवं 2053 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
10. **नियमों में संशोधन की राज्य सरकार की शक्ति**— राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इन नियमों में संशोधन कर सकेगा.
11. **नियमों में कठिनाई के निवारण की राज्य सरकार की शक्ति**— इन नियमों में किसी कठिनाई के निवारण के लिए राज्य सरकार निर्देश जारी कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.